न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अपील प्रकरण संख्या :– 14/2024

1. राजु पुत्र श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी लालचन्द, पुत्री वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी लालचन्द पुत्री वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

—— **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. ग्राम पंचायत कोनी पंचायत समिति श्रीगंगानगर
2. गुरदेव कौर पुत्री वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सुखदेव पुत्र श्री वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. परमजीत कौर पुत्री प्रीतम कौर पत्नी लालचन्द पुत्री वरयाम सिंह जाति बावरी निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

–रेस्पोडेंटस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — अपीलार्थी
2. श्री गुरप्रीत सिंह अधिवक्ता — रेस्पोडेंट संख्या 3

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04.11.2025

अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट के नाना वरयाम सिंह पुत्र राम सिंह को चक 5 पी बड़ी खाता संख्या 62/22 मुरब्बा नम्बर–12 में किला नम्बर–10,11,20,21 सालम में 1.0120 हैक्टेयर रकबा अलाट किया गया था। वरयाम सिंह के जायज वारिस दो लड़कियां अपीलांट की माता प्रीतम कौर, गुरदेव कौर एवं एक लड़का सुखदेव सिंह था। अपीलांट की माता का स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस अपीलांट संख्या 1 व 2 राजु, राजेन्द्र व सोनू तथा एक लड़की परमजीत कौर जायज वारिस है। वरयाम सिंह की मृत्यु दिनांक 02/09/2019 को हो चुकी है तथा अपीलांट की नानी सीतो का स्वर्गवास दिनांक 17/06/2014 को हो चुका है तथा अपीलांट की माता का स्वर्गवास हो चुका है। वरयाम सिंह की लड़की प्रीतम कौर का विवाह होने के बाद रायसिंहनगर में रहने लग गयी थी तथा रायसिंहनगर में ही उसका स्वर्गवास हो गया था तथा अपीलांट की माता का 1/3 हिस्सा था। हिन्दु उत्तराधिकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम के तहत भी मृतक वरयाम सिंह की जायज वारिसों का बराबर हक व हिस्सा बनता है। रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01/08/2023 को प्रस्तुत किया कि अपीलांट के पिता का भी स्वर्गवास हो गया है तथा माता का भी स्वर्गवास हो गया है तथा मै व मेरी बहन गुरदेव कौर वारिस है जबकि वारिस तीन थे। इस प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक–01/08/2023 को एक झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट की माता का नाम छिपाकर प्रस्तुत किया जिस पर बिना अपीलांट को नोटिस दिए ही रेस्पोडेंटगण द्वारा दिनांक – 21/08/2023 को वरयाम सिंह की 4 बीघा जमीन का इन्तकाल अपने नाम करवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट द्वारा पहले भी रेस्पोडेंट को कहा कि वरयाम सिंह की जमीन का इन्तकाल उनके वारिसों के नाम करवा लेवें मगर उन्होने कहा कि वरयाम सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर इन्तकाल करवा देगें तथा आपको सूचना दे देगें मगर रेस्पोडेंट द्वारा कोई सूचना नहीं दी। अब अपीलांट दो रोज पहले गांव में आया तो पता चला कि उपरोक्त जमीन का इन्तकाल रेस्पोडेंट ने अपने नाम करवा लिया है इस इन्तकाल की जानकारी दिनांक 20/12/2024 को हुई, पता चलते ही नकल ली। नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है जो निम्नलिखित कानूनी बिन्दूओं पर पेश हैः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है एवं दोबारा गौर मिसल के है। नकल इन्तकाल व जमाबन्दी शामिल अपील हाजा है। अपीलांट के नाना वरयाम सिंह पुत्र राम सिंह के नाम चक 5 पी बड़ी मुरब्बा नम्बर–12 किला नम्बर– 10, 11, 20, 21 कुल 4 बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। वरयाम सिह के जायज वारिस दो लड़कियां प्रीतम कौर व गुरदेव कौर एवं एक लड़का सुखदेव सिंह है। प्रीतम कौर की शादी होने के बाद वह चक 11 टीके में रहने लग गयी। प्रीतम कौर का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस अपीलांटान व रेस्पोडेंट संख्या 4 है। यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 3 सुखदेव सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र व झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि वरयाम सिंह की एक लड़की एवं मैं दो जायज वारिस है, हमारे दोनो के नाम से इन्तकाल किया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी आदेश के मौका पर जाकर बिना जांच किये ही यह अंकित कर दिया कि वरयाम सिंह के दो ही वारिस बताये गये है अन्य कोई वारिस नहीं बताया गया है, इस प्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी द्वारा दैनिक डायरी के आधार पर पटवारी द्वारा 11/08/2023 को रिपोर्ट गिरदावर को की गयी। गिरदावर द्वारा यह मिलान किया गया कि अंकन सही है इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने दिनांक–21/08/2023 को बिना अपीलांट को सुने ही इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो गैर कानूनी है इसलिए इन्तकाल निरस्त करने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा भी बिना वारिसान के जांच किये ही इन्तकाल तस्दीक करके कानूनी अवहेलना की है। रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा झुठा शपथ पत्र व पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर इन्तकाल किया गया है। झूठे शपथ पत्र व पटवारी की गलत रिपोर्ट के खिलाफ अपीलांट अलग फौजदारी कार्यवाही कर रहा है वरयाम सिंह के तीन वारिस थे जिस पर अपीलांट का 1/3 हिस्सा बनता है जो अपीलांट प्राप्त करने के अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 18 से 25 तक की पालना नहीं की गयी इसलिए भी इन्तकाल निरस्त करने योग्य है । ग्राम पंचायत सरपंच को इस बात की जानकारी थी कि वरयाम सिंह की लड़की प्रीतम कौर है जिसकी शादी होने के बाद चक 11 टीके में ससुराल चली गयी है तथा वहां पर उसकी मृत्यु हो गयी है इस बात की जानकारी होते हुए भी इन्तकाल तस्दीक करके कानूनी भूल की है इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश गैर कानूनी है इसलिए भी इन्तकाल निरस्त करने योग्य है। अन्य वजुवाद बरवक्त बहस पेश किये जावेगें। अपील जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है । अधिनस्थ न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही कोई सूचना दी गयी। दो रोज पूर्व जब अपीलांट गांव में गया तो अपीलांट को पता चला, पता चलते ही दिनांक 20/12/2024 को नकल की दरखास्त दी, नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपीलांटान की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21/08/2023 इन्तकाल संख्या 492 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन रिकार्ड तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह उपस्थित आये हुए।

वकील उभ्यपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं इंतकाल संख्या 492 दिनांक 11.08.2023 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से वरयाम सिह के तीन वारिसों में से भूमि का इंतकाल वरयाम सिंह के दो वारिसों के नाम किया गया है जिससे इंतकाल संख्या 492 दिनांक 11.08.2023 खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर इंतकाल संख्या 492 दिनांक 11.08.2023 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिंनाक 04.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner